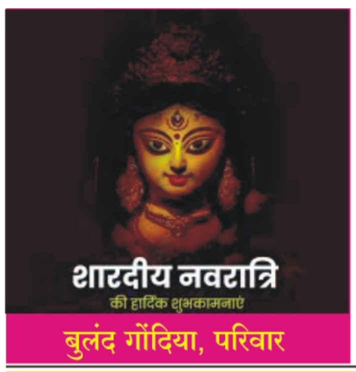

साप्ताहिक

बुलंद गोंदिया

खबरों का आईना

प्रधान संपादक : **अभिषेक चौहान** | संपादक : **नवीन अग्रवाल**

E-mail : **bulandgondia@gmail.com** | E-paper : **bulandgondia.net** | Office Contact No.: **7670079009** | **RNI NO. MAH-HIN-2020/84319**

वर्ष : 4 | अंक : 11 — गोंदिया : गुरुवार, 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2023 — पृष्ठ : 10 — मूल्य : रु. 5

मातारानी का भक्तिमय व हर्षोल्लास के साथ आगमन,सार्वजनिक पंडालों में मां की प्रतिमा विराजित

मंदिरों में अखंड ज्योत की स्थापना, 9 दिनों तक हर्षोल्लास व भक्तिमय वातावरण में मनाया जाएगा शारदीय नवरात्र

बुलंद गोंदिया। शारदीय नवरात्र का शुभारंभ रविवार 15 अक्टूबर से शुरू हुआ जिसमें हर्षोल्लास के साथ मातारानी की प्रतिमाओं को सार्वजनिक पंडालों में विराजित कर पूजा अर्चना शुरू की गई। साथ ही जिले के माता मंदिरों में अखंड ज्योत प्रज्वलित हुई 9 दिनों तक चलने वाले शारदीय नवरात्र के दौरान भक्तिमय वातावरण के साथ विभिन्न धार्मिक व सामाजिक जनजागृति के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

भारी उत्साह व भक्तिमय हर्षोल्लास वातावरण में शारदीय नवरात्र का शुभारंभ रविवार 15 अक्टूबर को एकम तिथि के साथ शुरू हुआ। जिसमें गोंदिया शहर के साथ-साथ जिले के विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक पंडालों में मातारानी की आकर्षक प्रतिमा को विराजित कर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान शुरू किए गए।

इसके साथ ही जिले के प्रसिद्ध सभी मातारानी मंदिरों में अखंड ज्योत प्रज्वलित कर जवारे की स्थापना की गई। शारदीय नवरात्र में जिले के सभी माता मंदिरों में घट व जवारे की स्थापना होने के साथ ही 540 सार्वजनिक मां दुर्गा प्रतिमा, 533 मां शारदा प्रतिमा की स्थापना होने के साथ ही करीब 32 स्थान पर सार्वजनिक गरबे का आयोजन धूमधाम से सुरु हुआ ।

गौरतलब है की शारदीय नवरात्र में सभी माता मंदिरों में अखंड ज्योत प्रज्वलित करने के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर मां दुर्गा व शारदा की प्रतिमा स्थापित करने के साथ बड़े पैमाने पर सार्वजनिक स्थानों पर गरबे का आयोजन कर नवरात्रि के नौ दिनों के दौरान भक्ति में वातावरण के साथ विभिन्न धार्मिक व सामाजिक जनजागृति के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

शारदीय नवरात्रि के दौरान पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले के मार्गदर्शन में अपर पुलिस अधीक्षक अशोक बनकर की देखरेख में गोंदिया जिले के उप विभागीय पुलिस अधिकारी के संपूर्ण नियंत्रण में विभाग के अंतर्गत आने वाला पुलिस थानों के निरीक्षक के नेतृत्व में नवरात्र उत्सव शांतिपूर्ण वातावरण व कानून व्यवस्था को रखने के लिए सजग किया गया है तथा यह उत्सव आयोजित किया जाएगा।

जिले में कानून व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सार्वजनिक दुर्गा शारदा गरबा उत्सव मंडल परिसर में भीड़ वह मार्ग के स्थान पर फिक्स पॉइंट, सुरक्षा व्यवस्था नियुक्त की जाएगी साथ ही जिले में नाकाबंदी व गस्त का भी नियोजन किया गया है।

नवरात्र उत्सव दौरान के दौरान अपराधियों पर पुलिस की विशेष नजर

नवरात्र उत्सव के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर महिलाएं, युवतियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले, छीटाकशी करने वाले करने वालों के खिलाफ संपूर्ण 16 पुलिस थाने में विशेष पथक बनाया गया है तथा यह पथक द्वारा नवरात्र पर्व के दौरान विशेष लक्ष्य केंद्रित करेगा। तथा असामाजिक तत्व ,गुंडे प्रवृत्ति के लोगों पर नजर रखने के लिए शादे गणवेश में महिला, पुरुष पुलिस अधिकारी सिपाही चार्ली पथक, दामिनी पथक को सजग किया गया है तथा उन पर विशेष नजर रखी जाएंगी तथा कानून व व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने न पाए इसलिए तत्काल ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई की जाएंगी।

कानून व सुरक्षा बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

शारदीय नवरात्र के दौरान अचानक सामने आने वाली किसी भी परिस्थितियों पर नियंत्रण कानून व सुव्यवस्था को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया जाएगा जिसमें उपविभागीय पुलिस अधीकारी स्तर पर विभिन्न स्थानों पर स्ट्रोकिंग फोर्स, 16 पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले सभी पुलिस अधिकारी, सिपाही, पुलिस मुख्यालय की आर.सी. पी, क्यूआरटी, स्क्वाड, सी-60 स्क्वाड, बी डीडी एस, मोटर परिवहन विभाग, वायरलेस विभाग, जिला यातायात शाखा के सभी अधिकारी व कर्मचारी तथा होमगार्ड राज्य राखीव पुलिस दल कर संपूर्ण जिला स्तर पर 75 पुलिस अधिकारी 600 पुलिसकर्मी 400 पुरुष होमगार्ड 100 महिला होमगार्ड का दल तैनात रहेगा। नवरात्र उत्सव के दौरान शांति सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण, आपसीसामंजस्य रखते हुए कानून व व्यवस्था का पालन करते हुए मनाने का आवाहन जिला पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले , अपर पुलिस अधीक्षक अशोक बनकर द्वारा किया गया है।

गुप्तधन निकलने का लालच देकर 80 साल के बुजुर्ग को लगाया 7 लाख का चूना

बुलंद गोंदिया। जिले के देवरी थाने में एक जादूटोना विधि से घर में गड़े गुप्तधन को निकालने का लालच देकर 80 साल के बुजुर्ग से धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। थाने में दर्ज फिर्यादि ज्ञानीराम सदाराम उके 80 वर्ष निवासी खुर्शीपार तहसील सड़क अर्जुनी के रिपोर्ट अनुसार 8 सितंबर से 13 अक्टूबर 2023 के दौरान फिर्यादि घुटने के दर्द से त्रस्त था। उसके परिचितों ने आरोपी से मुलाकात कराकर दवा लेने की सलाह दी थी।

फिर्यादि ने आरोपी से दवा ली, जिससे उसके घुटनों के दर्द में आराम हुआ। आराम होने पर आरोपी का उसके घर आना जाना शुरू हो गया और फिर्यादि उसपर विश्वास करने लगा। इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने उसे घर में गड़े गुप्तधन का लालच दिया।

रिपोर्ट अनुसार आरोपी ने फिर्यादि से कहा कि, उसके घर में गुप्तधन गढ़ा हुआ है। वो जाटूटोने वाले व्यक्ति की मदद से उसे निकाल सकता है। तूम मालामाल हो जाओगे। इस प्रकार का लालच देकर आरोपी ने 80 साल के बुजुर्ग से किश्तों में 7 लाख रुपये ऐंठ लिए।

आरोपी ने नियोजित तरीके से अन्य की मदद से बुजुर्ग के घर में गड्ढा खोदा, और बनावटी रूप में गड्ढे से एक तांबे का लोटा जिसमें पीतल की 15 छोटी मूर्ति, 1 बालकृष्ण मूर्ति, एक ताँबे की हंडी से गणेशजी की 5 पीतल की मूर्ति, 7 देवी मूर्ति व दो पितल के ढक्कन निकालकर दिए।

फिर्यादि को इस घटनाक्रम के दौरान आभास हुआ कि आरोपियों ने उसके साथ गुप्तधन के नाम पर धोखाधड़ी कि है। और उसने देवरी थाने में रिपोर्ट दर्ज की।

देवरी पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले पर आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 420, 34, सह कलम 3, महा.नरबली व अमानुष व अघोरी प्रथा व जादूटोना के समूल नाश प्रतिबंधक कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच पुलिस निरीक्षक डांगे कर रहे है।

गोंदिया शहर पुलिस का रूट मार्च व दंगा पथक की मॉकड्रिल

नवरात्र उत्सव शुरू होने के पूर्व सुरक्षा व शांति बनाए रखे

बुलंद गोंदिया। शारदीय नवरात्र का पर्व रविवार 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है इसके पूर्व शहर में कानून व व्यवस्था को सुचारू रखने की दृष्टि से गोंदिया शहर पुलिस द्वारा शनिवार 14 अक्टूबर को संपूर्ण शहर में रूट मार्च वह दंगा पाथक की मॉक ड्रिल कर असामाजिक तत्व व बदमाशों को कड़ा संदेश दिया है।

गौरतलब है की धार्मिक आयोजन के पूर्व कानून व सुरक्षा बनाने की दृष्टि से पुलिस बल द्वारा अपराधियों व असामाजिक तत्व समाज कंटकों पर लगाम लगाने वह शहर के नागरिकों को उनकी सुरक्षा का विश्वास दिलाने के लिए रूट मार्च की मॉक ड्रिल कर सुरक्षा का संदेश दिया जाता है। इसी के अंतर्गत नवरात्र पर्व शुरू होने के पूर्व पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले के दिशानिर्देश अनुसार गोंदिया शहर पुलिस द्वारा शनिवार 14 अक्टूबर को शहर में रूट मार्च करने के साथ ही दंगा पाथक की मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।

शहर पुलिस द्वारा रूट मार्च गुरुनानक स्कूल, अग्रसेन गेट, गांधी प्रतिमा, चांदनी चौक, दुर्गा चौक, गोरेलाल चौक मार्ग होते हुए गोंदिया शहर पुलिस थाने पहुंची तथा सार्वजनिक पर्व के दौरान किसी भी प्रकार का दंगा या अप्रिय घटना होने पर तत्काल उस पर नियंत्रण पाने के लिए दंगा पाथक का मॉक ड्रिल सुभाष स्कूल मैदान में किया गया।

मॉक ड्रिल व रूट मार्च में गोंदिया शहर पुलिस थाने के 6 अधिकारी, 40 सिपाही, आरसीपी पथक के 13 अमलदार, 71 सिपाही इस प्रकार कुल 128 पुलिसकर्मी शामिल हुए। दंगा नियंत्रण करने के लिए ढाल सेक्शन, लाठी सेक्शन,हथियार सेक्शन प्रोटेक्शन किट सेक्शन को तैयार कर दंगे पर नियंत्रण पाने का प्रात्यक्षिक लिया गया।

भीड़ के दौरान सजग रहे सोने के जेवरात पहनने से बचे

नवरात्र पर्व के दौरान शहर में दर्शन के लिए भारी भीड़ होती है इस भीड़ का लाभ लेते हुए जेब कतरे, उठाईगिर चैन इसनेचर अपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। हालांकि पुलिस सजग है लेकिन फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से आवाहन किया जाता है कि इस भीड़ के दौरान महिलाएं सजग रहते हुए सोने के जेवरात पहनने से बचे।

जिपं अध्यक्ष पंकज रहांगडाले के हस्ते विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण

बुलंद गोंदिया। गोंदिया जिला परिषद के अध्यक्ष पंकज रहांगडाले के नेतृत्व में जिले में बड़ी संख्या में विकास कार्य चल रहे हैं. ग्राम पंचायत तुमसर में जल जीवन मिशन जिला निधि एवं मगरोरोहयो अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ। जिला परिषद अध्यक्ष पकंज रहांगडाले ने 35 लाख रुपये के सीमेंट सड़क निर्माण कार्य का लोकार्पण एवं 173.16 लाख रुपये के जलापूर्ति कार्यों का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से पंकज राहंगडाले, डॉ. लक्ष्मण भगत जिप सदस्य, मनोज बोपचे सभापती पस. गोरेगांव, रामेश्वर महारवाडे, पस.गोरेगांव, योगिता देशमुख सरपंच तुमसर, साथ ही सभी ग्राम पंचायत सदस्य और सभी ग्रामीण उपस्थित थे।

पांजरा के पास पलटी प्राइवेट एम्बुलेंस

गोंदिया-पेशंट को छोडकर तिरोडा की और वापस आ रही प्रायव्हेट ॲम्बुलन्स क्र. MH 31 CQ 8499 ग्राम पांजरा के पास पलट गई. ॲम्बुलन्स का काफी नुकसान हुआ है. ड्रायव्हर पंकज वाघमारे और उसके साथ एक व्यक्ती थी. उन्हे मामुली चोट आयी है. प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. शासकीय पायलट जो 108 एम्बुलेंस चलाते हैं, वह प्राइवेट एंबुलेंस कैसे चलाते हैं ? जबकि यह प्राइवेट एंबुलेंस इसी शासकीय पायलट के नाम पर है. प्राप्त जानकारी अनुसार पेशंट को 108 अंतर्गत ॲम्ब्युलन्स की फ्री सेवा देणे की बजाये झूठ बोलकर प्रायव्हेट ॲम्बुलन्स भेजकर लुटा जाता है. इस बात की इन्क्वायरी की जाने की मांग की जा रही है.

एमपी महोत्सव में हाई सिविलियन डॉनग्रुप का डांस उदय स्वराज्य सूर्य की थीम पर नृत्य प्रस्तुति

बुलंद गोंदिया। भंडारा-गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने, प्रतिभाशाली कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए एक अच्छा मंच प्रदान करने के लिए महा. प्र. सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस उत्सव के अंतर्गत आयोजित समूह नृत्य प्रतियोगिता में गोंदिया के हाई सिविलियन डांस ग्रुप ने उदय स्वराज्य सूर्या थीम नृत्य प्रस्तुत कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। बता दें कि हाई सिविलियन डॉन्स ग्रुप ने तहसील स्तर की प्रतियोगिता में भी पहला स्थान हासिल किया था। यह मप्र सांस्कृतिक महोत्सव केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के निर्देशानुसार सुनील मेंढे के मार्गदर्शन में भंडारा-गोंदिया लोकसभा क्षेत्र में आयोजित किया गया था। इस महोत्सव में गोंदिया और भंडारा जिलों के सभी तहसीलो की 108 टीमों ने भाग लिया। महोत्सव में लगभग 5700 प्रतियोगियों ने अपनी प्रतिभा प्रस्तुत की। महोत्सव में गोंदिया के %हाई सिविलियन डांस ग्रुप% ने उदय स्वराज्य सूर्या थीम डांस प्रस्तुत किया और डंका बजाया। नृत्य प्रतियोगिता में टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को आकर्षक पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। विजेता टीम में जयेश मुरकुटे, कृष्णा मेश्राम, अमन खानोरकर, अंशुमन निमावत, साक्षी जैतवार, सिमरन रमानी, सृष्टि रमानी, आशीष ओइके, तपस्या सेंगर, संकेश यादव, नितेश गवली, दुर्गेश गवली, निखिल दहिया, पारस कैथवास , श्रद्धा राऊत आदि शामिल हैं।

. टीम की सफलता पर जयंत शुक्ला, जयंत मुरकुटे, महेंद्र सोनवाने, यशोधरा सोनवाने, भूमेश्वरी मुरकूटे, अमर मिश्रा, धर्मिष्ठा सेंगर,अरविंद राऊत, इरशाद शेख, मिदुप श्रीवास्तव, पंकज त्रिपाठी, अमित इटनकर आदि ने बधाई दी।

भारत-पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच सिंधी कॉलोनी में चल रहे ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे अड्डे पर लोकल क्राइम ब्रांच की कार्रवाई

» तीन बुकियों पर मामला दर्ज

बुलंद गोंदिया। गोंदिया शहर के सबसे बड़े बुकी सोन्टु जैन पर कार्रवाई होने के बावजूद भी शहर में क्रिकेट ऑनलाइन सट्टे का काम बंद नहीं हुआ है। भारत पाकिस्तान के वर्ल्ड कप मैच के दौरान सिंधी कॉलोनी परिसर में चल रहे ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे अड्डे पर पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले के मार्गदर्शन में लोकल क्राइम ब्रांच प्रभारी दिनेश लबडे वह उनकी टीम द्वारा शनिवार 14 अक्टूबर को छापा मार करवाई कर तीन क्रिकेट बुकियों धर्मेंद्र सुरेश ठकरानी 41 वर्ष , खानचंद संगतानी 42 वर्ष ,भरत भोजवानी 47 वर्ष को हिरासत में लिया व उनके पास से 50हजार कीमत के 3 मोबाईल जप्त किये तथा उनके खिलाफ समाचार लिखे जाने तक शहर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया ।

महादेव एप की शाखा शुभएप से हो रही थी बैटिंग

देशभर में ऑनलाइन सट्टे के रूप के लिए बहुचर्चित महादेव ऐप पर संपूर्ण देश में कार्रवाई होने के बावजूद महादेव एप के माध्यम से ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा वह अन्य ऑनलाइन सट्टे का कार्य अभी बंद नहीं हुआ है तथा उसके विकल्प में महादेव के विभिन्न शाखाओ को सक्रिय कर ऑनलाइन सट्टा निरंतर चल रहा है आज हुई इस कार्रवाई में महादेव एप की शाखा शुभ एप के माध्यम से ऑनलाइन बैटिंग की जा रही थी।

संपादकिय...

अजन्मे बच्चे का हक

सुप्रीम कोर्ट में चल रहा 26 सप्ताह की प्रेग्नेंसी से जुड़ा एक मामला पूरे देश का ध्यान खींच रहा है। इसमें पिटिशनर महिला अपनी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और भावनात्मक स्थितियों के आधार पर अबॉर्शन की इजाजत मांग रही है। CJI की अगुआई वाली तीन सदस्यों की बेंच ने शुक्रवार को एम्स के एक्सपर्ट डॉक्टरों की समिति से भ्रूण और महिला की सेहत को लेकर कुछ और अहम पहलुओं पर रिपोर्ट मांगी। इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होनी है, लेकिन इस बीच देश में उन बड़े सवालों पर बहस शुरू हो गई जो इस केस से जुड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को बिल्कुल स्पष्ट रूप में महिला अधिकारों के पक्ष में बोलना चाहिए और चाहे जितने भी अच्छे इरादों से प्रेरित हों, उन्हें कम करने वाले प्रयासों को पूरी मजबूती से रोकना चाहिए। अपने शरीर पर महिलाओं के अधिकार की वकालत करना समझ में आता है। खासकर अपने देश में महिला अधिकारों की जो स्थिति आज भी बनी हुई है, उसे देखते हुए यह जरूरी भी है। लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि इस मामले से कई अन्य अहम सवाल भी जुड़े हुए हैं, जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। खासकर तब, जब एम्स के विशेषज्ञों की समिति ने कहा है कि 26 सप्ताह से गर्भ में पल रहे भ्रूण के जीवित होने की काफी संभावना है। गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए ष्टछ्वढ्ढ ने ठीक ही कहा कि कोर्ट अजन्मे बच्चे के अधिकारों की ओर से आंखें नहीं मूंदे रह सकता, सिर्फ इसलिए कि अदालत में उसका पक्ष रखने वाला कोई नहीं है। यहां अब सवाल सिर्फ महिला के शरीर पर उसके अधिकार का नहीं रह गया है। इस अधिकार से गर्भ में पल रहे शिशु के जिंदा रहने का अधिकार टकरा रहा है। ऐसे में दूसरे पक्ष की अनदेखी करते हुए किसी भी एक पक्ष की ओर से फैसला सुनाने का आग्रह सही नहीं होगा। यह भी याद रखना चाहिए अपने देश में कन्या भ्रूण हत्या एक गंभीर समस्या रही है। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2009 से 2019 के बीच दस वर्षों की अवधि में देश में 90 लाख कन्या भ्रूण हत्याएं हुई हैं। छह साल की उम्र तक के बच्चों का राष्ट्रीय सेक्स रेश्यो भी 2011 की जनगणना के मुताबिक 100 स्त्रियों के मुकाबले 108.9 पुरुष पाया गया है, जो 102 से 107 तक के सामान्य औसत से कहीं ज्यादा है। महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में तो यह 118 और 120 तक है। ध्यान रहे, कन्या भ्रूण हत्या जैसी गैरकानूनी हरकतों के पीछे भी अक्सर महिला के अपने शरीर पर अधिकार जैसे तर्क काम करते हैं, चाहे उनका इस्तेमाल पितृ-सत्तात्मक सोच ही क्यों न कर रही हो।

कास्ट सर्वे की कसौटी... जातिगत गणना से विपक्ष को उम्मीद

कांग्रेस वर्किंग कमिटी की बैठक में चर्चा हुई कि विधानसभा चुनावों में कास्ट सर्वे का मसला कितना महत्वपूर्ण है। विपक्ष को इससे राजनीतिक फायदा उठाना है और बीजेपी को OBC वोटरों पर पकड़ बनाए रखना है। विपक्ष को इससे बीजेपी को हराने की उम्मीद है, लेकिन बीजेपी इस बात में सहमत नहीं है।

कांग्रेस वर्किंग कमिटी की हुई बैठक पहले से तय थी, फिर भी पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखें घोषित होने से इसकी अहमियत थोड़ी और बढ़ गई। वैसे बैठक का अजेंडा भी पहले से तय था। यह निश्चित था कि इसमें कास्ट सर्वे का मसला छाया रहेगा। असल में, बिहार कास्ट सर्वे के नतीजे सार्वजनिक होने के बाद से यह मुद्दा सबकी प्राथमिकता में आ गया है। विपक्ष जहां कास्ट सर्वे से अधिक राजनीतिक फायदा लेना चाहता है, वहीं BJP इस मुद्दे की वजह से OBC वोटरों पर अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने देना चाहती।

कांग्रेस कास्ट सर्वे के पक्ष में खुलकर बोल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से इसे हिंदू समाज को बांटने की कोशिश बताया है, कांग्रेस के भी एक हिस्से में इस पर सतर्कता से आगे बढ़ने की जरूरत बताई जाने लगी। जाहिर है, कोई भी पार्टी इस तरह के बड़े मुद्दे पर बंटे हुए मन से चुनाव में नहीं उतरना चाहेगी। इसलिए कांग्रेस की वर्किंग कमिटी की बैठक में इस मसले पर विचार हुआ। कांग्रेस ही क्यों, विपक्षी गठबंधन ढ्ढ.हृ.ष्ठ.ढ्ढ. भी इसके पक्ष में है। इन दलों को लग रहा है कि इसके जरिए वे 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पराजित कर देंगे। लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि कांग्रेस सरकार ने ही कर्नाटक में 2015 में ऐसा एक सर्वे कराया था, जिसकी रिपोर्ट उसे 2018 में मिल गई थी।

इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है और अभी भी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में इसे सामने लाने पर दो राय है। एक वर्ग मानता है कि रिपोर्ट सामने लाई जाए, तो दूसरा लोकसभा चुनाव तक यथास्थिति बनाए रखने की बात कह रहा है। उसे डर है कि रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर कहीं लोकसभा चुनाव में नुकसान न हो जाए। असल में, बिहार में पिछड़े और अति पिछड़े तबकों की संख्या राज्य की कुल आबादी का 63 फीसदी दर्ज हुई, उसे देखते हुए अन्य राज्यों में भी कास्ट सर्वे कराने का सीधा मतलब है आरक्षण पर 50 फीसदी की अधिकतम सीमा वाली रोक हटाने के पक्ष में माहौल बनाना। जैसे-जैसे यह मुद्दा गरमाएगा, BJP को हासिल OBC तबकों का समर्थन उससे छिटकने लगेगा।

मगर क्या यह गणित इतना आसान है? जाहिर है, BJP ऐसा नहीं मानती। उसकी दलील है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई LPG कनेक्शन, आवास और मुफ्त राशन जैसी कल्याणकारी योजनाओं ने OBC वोटरों के बड़े हिस्से में पार्टी की पैठ काफी मजबूत कर दी है। ध्यान रहे, जहां 2014 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को 34 फीसदी OBCवोटरों का समर्थन हासिल था, वहीं 2019 में यह बढ़कर 44 फीसदी पर पहुंच गया। बहरहाल, इस मामले में विपक्ष और OBCका पहला इम्तहान नवंबर में पांच राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव होंगे।

अवैध रेत ले जाते हुए पकड़ा टिप्पर 2 लोगों पर मामला दर्ज

गोंदिया-गंगाझरी थाने के पुलिस अधिकारी व अंमलदार नवरात्रि पर्व पर गश्त कर रहे थे. इसी दौरान जानकारी मिली कि ग्राम बोरा से डब्बेटोला मार्ग पर अवैध रूप से रेत का परिवहन किया जा रहा है. टिप्पर क्र. एमएच 40 - सीडी 0562 को पुलिस द्वारा पकड़ा गया. तिरोड़ा थाने में आरोपी काचेवानी निवासी साहिल नवाज अली सय्यद (30) व मालक तिरोड़ा निवासी सौरभ होमेंद्रसिंग चव्हाण (35) के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इस कार्रवाई में एक टिप्पर व 5 ब्रास रेत ऐसा कुल 20 लाख 25 हजार रु. का माल जब्त किया गया. यह कार्रवाई गंगाझरी थाने के पुलिस निरीक्षक महेश बनसोडे, पुलिस उपनिरीक्षक पराग उल्लेवार के मार्गदर्शन में सुनील अंबुले, हवलदार सुभाष हिवरे, तुलशीदास पारधी, पुलिस नायक महेंद्र कटरे, सिपाही प्रशांत गौतम ने की.

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष की सियासी चुप्पी से सुप्रीम कोर्ट नाराज, दिया कड़ा संदेश

सर्वोच्च न्यायालय ने हालांकि यह भी कहा कि वह विधानसभा अध्यक्ष के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं दे रहा, मगर जहां कहीं संवैधानिक मूल्यों का हनन होता है, वहां उसे दखल देना भी पड़ता है। अदालती फैसलों और निर्देशों को नजरअंदाज करना जैसे सत्तासीन लोगों की आदत हो गई है। अक्सर वे न्यायालय के निर्देशों पर टालमटोल करते देखे जाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का रवैया भी कुछ वैसा ही है। इस पर नाराजगी जताते हुए सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ा कि विधानसभा अध्यक्ष इस तरह न्यायालय के निर्देशों को नजरअंदाज और निष्प्रभावी करने की कोशिश नहीं कर सकते। न्यायालय ने स्पीकर को हफ्ते भर के भीतर समय सीमा तय करने को कहा न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष को एक हफ्ते के भीतर समय-सीमा तय करने को कहा है। दरअसल, महाराष्ट्र में शिवसेना से अलग होकर छप्पन विधायकों ने भाजपा से हाथ मिला लिया और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार बन गई। इस पर शिवसेना ने विधानसभा अध्यक्ष से गुहार लगाई कि वे अलग हुए विधायकों को अयोग्य घोषित करें।

अर्जियों पर ध्यान नहीं देने पर मामला सर्वोच्च न्यायालय गया था

इस संबंध में चौंतीस अर्जियां लगाई गई हैं, मगर विधानसभा अध्यक्ष ने उन पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय से अपील की गई कि वह विधानसभा अध्यक्ष को विधायकों की अयोग्यता संबंधी अर्जियों पर फैसला सुनाने का आदेश दे। मई में जब सर्वोच्च न्यायालय ने उद्धव ठाकरे सरकार गिराने के मामले में सुनवाई करते हुए फैसला दिया, तभी विधानसभा अध्यक्ष को भी निर्देश दिया था कि वे विधायकों की अयोग्यता संबंधी मामले में फैसला सुनाएं।

उस निर्देश के बाद करीब पांच महीने बीत गए, मगर विधानसभा अध्यक्ष यही कहते रहे हैं कि समय आने पर वे इस मामले में फैसला सुनाएंगे। अब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष ऐसा कह कर नहीं टाल सकते। यह फैसला अगले विधानसभा चुनाव से पहले हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर उसका कोई संवैधानिक महत्त्व नहीं रह जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने हालांकि यह भी कहा कि वह विधानसभा अध्यक्ष के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं दे रहा, मगर जहां कहीं संवैधानिक मूल्यों का हनन होता है, वहां उसे दखल देना भी पड़ता है।

यह सर्वोच्च न्यायालय की कठोर टिप्पणी है। उम्मीद की जाती है कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष इसे गंभीरता से लेंगे। मगर महाराष्ट्र में जिस तरह के राजनीतिक समीकरण बने हुए हैं, उसमें विधानसभा अध्यक्ष किस हद तक संवैधानिक मूल्यों की रक्षा कर पाएंगे, देखने की बात है। मामला केवल शिंदे के साथ गए विधायकों की अयोग्यता का नहीं, राकांपा से अलग होकर शिंदे सरकार में शामिल हुए विधायकों का भी है। मगर विधानसभा अध्यक्ष इन दोनों मामलों में चुप्पी साधे हुए हैं, तो इसकी वजह भी प्रकट है। जिस तरह एकनाथ शिंदे की अगुआई में शिवसेना के विधायक कई दिनों तक अलग-अलग शहरों में भागते फिर रहे थे और उनका आतिथ्य भाजपा के लोग संभाले हुए थे, उसी से जाहिर हो गया था कि उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने की साजिश रची गई है। फिर जिस नाटकीय ढंग से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद अनेक संवैधानिक सवाल उठने शुरू हो गए थे। यही प्रक्रिया तब भी दोहराई गई, जब राकांपा से अलग होकर आठ विधायकों ने शिंदे सरकार में महत्त्वपूर्ण ओहदे हासिल कर लिए। विधानसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वे दलबदल कानून के तहत विधायकों की सदस्यता जांचें-परखें। मगर जैसा कि पहले भी अनेक मौकों पर देखा गया है, जब भी इस तरह कोई सरकार गिराई और जोड़तोड़ कर नई सरकार बनाई जाती है, तो विधानसभा अध्यक्ष सियासी चुप्पी साध लेते हैं। महाराष्ट्र के मामले में भी यही हुआ।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : समलैंगिक विवाह कानूनन मान्य नहीं यह विवाह गैरकानूनी है

कोर्ट ने कहा- विवाह को मान्यता देने का काम संसद का समलैंगिक समुदाय को बच्चा गोद लेने की भी अनुमति नहीं

बुलंद गोंदिया(नई दिल्ली) - सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने समलैंगिकों के हितों के संरक्षण की वकालत भी की। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने कहा, विवाह मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दे सकते। कोर्ट कानून नहीं बना सकता, केवल उनकी व्याख्या कर सकता है और विशेष विवाह अधिनियम में बदलाव करना संसद का काम है। केंद्रीय कानून के अभाव में राज्य भी कानून बना सकते हैं। संविधान पीठ ने इससे जुड़ी 21 याचिकाओं पर 10 दिन की सुनवाई के बाद 11 मई को फैसला सुरक्षित रखा था। मंगलवार को पीठ ने चार फैसले सुनाए। समलैंगिक विवाह को मान्यता न देने पर पूरी पीठ एकमत थी।

संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से समलैंगिक दंपती के बच्चा गोद लेने को भी कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक जोड़ों को सामान्य अधिकार देने के अध्ययन के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में पैनल बनें। कोर्ट ने कहा कि इनके संयुक्त बैंक खाते खोले जाएं और बीमा पॉलिसी में भागीदार नियुक्त करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने इस फैसले का स्वागत किया है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे फैसले से व्यथित हैं। उनका संघर्ष जारी रहेगा।

समलैंगिक शादी पर

समलैंगिकता प्राकृतिक घटना है। यह शहरों या कुलीन परिवारों तक सीमित नहीं। (पांचों जज सहमत)

संविधान बतौर मौलिक अधिकार विवाह के हक की गारंटी नहीं देता

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि समलैंगिकता शहरों तक सीमित नहीं है। गांव में भी समलैंगिक हो सकते हैं। शहर में अंग्रेजी बोलने वाला पुरुष तो गांव में खेत में काम करने वाली महिला भी समलैंगिक होने का दावा कर सकती है। विवाह की कोई सार्वभौमिक अवधारणा नहीं है। नियमों के कारण इसे कानूनी संस्था का दर्जा मिल गया है। संस्थागत सीमाओं के कारण सुप्रीम कोर्ट स्पेशल मैरिज एक्ट को रद्द नहीं कर सकता। यह विधायिका का नीतिगत मामला है। इससे अदालत को दूर रहना होगा।

बच्चा गोद लेने पर

अविवाहित जोड़े 2 साल तक वैवाहिक रिश्ते में रहें। तभी बच्चा गोद ले सकते हैं। (चीफ जस्टिस)

यह रूढ़िवादी विचार कि विषमलिंगी जोड़ा ही अच्छे माता-पिता होते हैं।

सीजेआई ने कहा कि अविवाहित जोड़ों को गोद लेने से बाहर नहीं रखा गया है। लेकिन नियम 5 यह कहकर उन्हें रोकता है कि उक्त अविवाहित जोड़े को कम से कम 2 साल वैवाहिक रिश्ते में रहना होगा। जेजे अधिनियम अविवाहित जोड़े को गोद लेने से नहीं रोकता है, लेकिन केवल तभी जब इसे कारा (सीएआरए) नियंत्रित करता है।

घर की स्थिरता कई कारकों पर निर्भर करती है। यह रूढ़िवादी विचार है कि विषमलिंगी जोड़े ही अच्छे माता-पिता हो सकते हैं। यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है।

एलजीबीटीक्यू को भी लिंग पहचान, संबंध बनाने का अधिकार

जस्टिस नरसिम्हा ने कुछ बिंदु पर चीफ जस्टिस के फैसले से अलग राय रखी। कहा, एलजीबीटीक्यू को लिंग पहचान, यौन अभिविन्यास का अधिकार और सहवास का अधिकार है। विवाह कोई अयोग्य अधिकार नही हैं। मेरी राय में विवाह विधायी हस्तक्षेप से निर्धारित होता है। विधायी ढांचे के प्रभाव की समीक्षा के लिए विचार- विमर्श की जरूरत है। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि वे जस्टिस भट से सहमत हैं।

ज़ (सीजेआई ने 247 पेज का फैसला लिखा। जस्टिस संजय कौल व जस्टिस पीएस नरसिम्हा सहमत थे। जस्टिस रविंद्र भट और जस्टिस हिमा कोहली का फैसला 89 पेज का रहा। वे कुछ बिंदु पर सीजेआई से असहमत थे।) .

ट्रांसजेंडर कर सकते हैं शादी....

चीफ जस्टिस ने कहा कि यौन रुझान के आधार पर समलैंगिकों के मिलन पर प्रतिबंध लगाना अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होगा। उन्होंने विवाह के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए कहा कि कोई ट्रांसजेंडर विषमलिंगी व्यक्ति से शादी करना चाहे तो कानून में ऐसी शादी को मान्यता दी जाएगी क्योंकि एक पुरुष होगा और एक महिला होगी।

समलैंगिकों के हक के लिए निर्देश

ज़यह देखा जाए कि समलैंगिकों से भेदभाव न हो। लोगों को जागरूक करें, ताकि उत्पीड़न रुके। ज़ समलैंगिक जोड़ा पुलिस में शिकायत करे तो सत्यापन के बाद उसे उचित सुरक्षा मिले।

समलैंगिकों के राशन कार्ड में उनकी पहचान के लिए कदम उठाए। केंद्र, राज्य सरकारें समलैंगिकों को योजनाओं के लाभ से नहीं रोकेंगे।

दुनिया के 34 देशों में कानूनी मान्यता

समलैंगिक विवाह को 1989 में कानूनी मान्यता देने वाला डेनमार्क पहला देश था। कुल 34 देश ऐसे हैं, जहां समलैंगिक शादी कानूनी मान्य है। इनमें अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, मैक्सिको, स्कॉटलैंड आदि हैं। कुछ जापानी शहरों में भी मान्य है।

जिंदगी जीत गई 26 हफ्ते का गर्भ गिराने की मांग खारिज

बच्चे की धड़कन रोकने की मंजूरी नहीं दे सकते - सुप्रीम कोर्ट कोर्ट

महिला गर्भपात चाहती है, मेडिकल बोर्ड ने कहा- भ्रूण पूरी तरह स्वस्थ

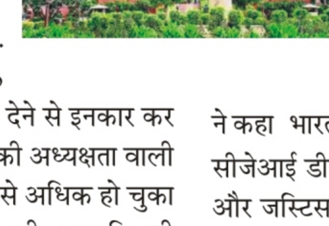

बुलंद गोंदिया।(नई दिल्ली) -. सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला को 26 हफ्ते का गर्भ गिराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा- गर्भकाल 24 हफ्ते से अधिक हो चुका है। यह चिकित्सकीय गर्भपात की अनुमति की अधिकतम सीमा है। भ्रूण स्वस्थ है और मेडिकल बोर्ड को उसमें कोई विसंगति नहीं दिखी है। ऐसे में हम बच्चे की धड़कन रोकने का फैसला नहीं दे सकते। महिला ने मनोविकृति से पीड़ित होने का हवाला देकर गर्भपात की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने अजन्मे बच्चे के अधिकारों को प्राथमिकता देते हुए कहा- प्रसव का खर्च केंद्र उठाएगा। माता-पिता बच्चा छोड़ना चाहते हैं तो केंद्र गोद देने की प्रक्रिया में भी मदद करेगा। महिला के पक्ष में तर्क . अजन्मे बच्चे का अधिकार नहीं होता कोर्ट ने कहा भारतीय कानून इस मामले में दुनिया से आगे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्वेस ने हस्तक्षेप आवेदन किया। उन्होंने कहा- %अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत अजन्मे बच्चे का कोई अधिकार नहीं होता और गर्भपात से भ्रूण का हृदय रुक जाता है। कई देशों में यह अवैध नहीं है। इस पर सीजेआई ने कहा- आप अंतरराष्ट्रीय कानून की बात कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि रो बनाम वेड केस के बाद अमेरिका में क्या हुआ? इस केस के चलते 1973 में अमेरिकी कोर्ट ने गर्भपात को कानूनी संरक्षण दिया था, लेकिन 2022 में फैसला पलट दिया गया। इसके चलते गर्भपात का अधिकार खत्म कर दिया गया। सीजेआई ने कहा- भारतीय कानून प्रतिगामी नहीं हैं। भारतीय कानून कई मानकों में डब्ल्यूएचओ और अन्य अंतरराष्ट्रीय नजीरों से बहुत आगे हैं।

मेरे दो बच्चे हैं मानसिक रूप से अस्वस्थ दवाई ले रही याचिकाकर्ता महिला

गर्भवती महिला ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर गर्भपात की इजाजत मांगी थी। उसका तर्क था- %मेरे दो बच्चे हैं। अब तीसरा बच्चा नहीं चाहती, क्योंकि में मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुकी हूं। दवाएं ले रही हूं।

धान खरीद -किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू

बुलंद गोंदिया। सरकारी समर्थन मूल्य खरीद योजना के तहत खरीफ विपणन सीजन 2023-24 में धान की खरीद के लिए एनईएमएल पोर्टल पर किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। किसानों के लिए पंजीकरण करते समय वास्तविक लाइव फोटो अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। किसानों को पंजीकरण कराते समय सीजन 2023-24 के 7/12 प्रतिलेख वाले किसानों की वास्तविक लाइव फोटो अपलोड करना आवश्यक है, जिसके बिना पंजीकरण पूरा नहीं होगा। जो किसान अपनी उपज बेचना चाहते हैं वे क्रय केंद्र पर स्वयं उपस्थित होकर लाइव फोटो अपलोड करें तथा निर्धारित अवधि अर्थात 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2023 तक क्रय केंद्र पर धान बेचने हेतु पंजीकरण पूर्ण करा लें। पंजीकरण के लिए अनुमोदित खरीद संगठनों की सूची निम्नलिखित है। गोंदिया, खतिया (परसवाड़ा), मुंडीपार (एमआईडीसी), कामठा, गणखैरा, गोरेगांव, कालीमाटी (गोरेगांव), सर्वाटोला, गोंदेखारी,, नवेज़री, विहिरगांव, वडेगांव, आमगाव, गोरठा, कालिमाटी (आमगाव), अंजोरा, कट्टीपार, सुपलीपार, वळद, तिगाव, हरदोली, पांढरी, कोटजांभोरा, सौंदड, अर्जुनी/मोरगाव (लक्ष्मी), नवेगावबांध, अर्जुनी/मोरगाव (ख.वि.), बाकटी, बोंडगाव देवी, धाबेटेकडी, महागाव, वडेगाव रेल्वे आदि स्वीकृत आधार भूत धान उपार्जन केंद्रों पर, खरीफ पणन सीजन 2023 - 24 की 7/12 प्रतिलेख, फसल बीज, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर आदि दस्तावेजों के साथ लें और निर्धारित समय के भीतर पंजीकरण कराएं। जिला विपणन अधिकारी वी.एस.इंगले ने अपील की है कि गैर-आदिवासी क्षेत्र के किसान विपणन महासंघ के खरीदी केन्द्र में ऑनलाइन पंजीयन कराकर शासन की धान खरीदी योजना का लाभ उठायें।

बुकी सोंटू जैन ने न्यायालय में किया समर्पण-पांच दिन का पुलिस रिमांड

बुलंद गोंदिया। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए चावल कारोबारी से करोड़ों की ठगी करने वाले बुकी अनंत उर्फ सोंटू जैन ने सोमवार को प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी के समक्ष समर्पण कर दिया। अदालत ने सॉंटू को पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है।

यह है पूरा प्रकरण- करोड़ों की ठगी का शिकार हुए चावल कारोबारी ने मामले की शिकायत पुलिस आयु अमितेश कुमार से की थी। पुलिस ने सोंटू के गोंदिया स्थित आवास पर छापेमारी कर 17 करोड़ रुपए नकद, साढ़े बारह किलो सोना और 300 किलो चांदी कुल मिलाकर करीब 27 करोड़ रुपए की जप्ती की थी। गिरफ्तारी से (बचने के लिए सोटू ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी। सत्र न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत देने से इनकार करने पर सोटू ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी। हाई कोर्ट ने माना कि जांच आगे बढ़ाने के लिए सोटू को हिरासत में लेना जरूरी है। वहां से भी सोंटू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोटू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए सात दिन के भीतर समर्पण करने के आदेश दिए थे। सोमवार को यह समय सीमा समाप्त होने पर सोटू ने वकील के माध्यम से प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी के न्यायालय में समर्पण कर दिया। पुलिस ने उसकी 14 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की, लेकिन कोट ने सोटू को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजने के आदेश दिए।

पढ़ रहा गीता, रामायण सोटू फिलहाल गीता और रामायण पढ़ रहा है। उसने वकील के माध्यम से पुलिस रिमांड में गीता, रामायण और कुछ दवाओं को ले जाने की मांग की।

मददगारों पर भी गिरेगी गाज सोटू जैन की हाई कोर्ट से अर्जी खारिज होने पर जिन लोगे ने उसे शहर से भागने में मदद की थी, अब वह भी पुलिस के रडार पर आ गए हैं। सोटू जैन को नागपुर शहर से फरार होने में गोंदिया के बंटी शर्मा और सनी अरोरा ने मदद की थी। यह दोनों सोटू के दोस्त हैं। उसके फरार होने में करीब एक दर्जन लोग शामिल बताए जा रहे हैं। सोटू से पूछताछ के बाद अन्य लोगों पर भी गाज गिरने वाली हैं।

गोंदिया के 40 से 50 बुकिंयो की नागपुर क्राइम ब्रांच ने की जांच

क्रिकेट बुकी सोन्टु जैन का मामला सामने आने के पश्चात गोंदिया के करीब 40 से 50 क्रिकेट बुकियों वह पंटरो की जांच नागपुर क्राइम ब्रांच द्वारा की गई है। तथा उन्हें जांच के लिए नागपुर भी बुलवाया गया है सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ बुकी वह पंटर अब भी फरार बताए जा रहे हैं तथा कुछ ने जांच के पश्चात गोंदिया छोड़ दिया।

फ्रिज में विस्फोट ,घर में लगी आग

गोंदिया- देवरी तहसील के मुल्ला में पूर्व पुलिस पाटिल तेजराम वैद्य के घर में रसोई में फ्रिज में विस्फोट होने से घर में आग लगने की घटना 17 अक्टूबर को घटित हुई. इस दौरान मुल्ला के सरपंच पति और ग्रामीणों के हस्तक्षेप से एक बड़ी आपदा टल गई और सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई. जानकारी के अनुसार मुल्ला के पूर्व पुलिस पाटिल तेजराम वैद्य की रसोई में फ्रिज में रखे कंप्रेसर का टैंक 17 अक्टूबर को अचानक फट गया. जिससे फ्रिज में आग लग गई. जिस पर ग्रामीणों और सरपंच कल्पना बागड़े के पति मुकुंद बागड़े की नजर पड़ी. इस बीच बागड़े और ग्रामीण मदद के लिए दौड़े और समय रहते घर की बिजली बंद कर आग पर काबू पा लिया गया. उल्लेखनीय यह है कि इस समय घर में कोई मौजूद नहीं था.

बस स्टैंड चौक बना ब्लैक स्पॉट

सड़क पर वाहनों के सतत यातायात से आए दिन होती है दुर्घटनाएं

गोरेगांव-शहर में वाहनों का कब्जा दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है. मुख्य बस स्टैंड चौराहे पर विभिन्न दूकानें व कार्यालय होने के कारण वाहन सड़क पर ही पार्क किए जाते हैं. जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है. बस स्टैंड चौक अब दुर्घटना स्थल के रूप में जाना जाने लगा है, किंतु पुलिस प्रशासन व नपं की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. जिससे नागरिकों में रोष निर्माण हो गया है. गोरेगांव शहर के पुराने बस स्टैंड चौक पर यातायात पुलिस की मौजूदगी नहीं होने के कारण वाहन चालक अपने वाहन सड़क पर ही पार्क कर रहे हैं. जिससे यात्रिय, विद्यार्थियों, पैदल चलने वालों को तेज रफ्तार वाहन से दुर्घटना होने का डर बना रहता है. बस स्टैंड के पास महाराष्ट्र बैंक नगर पंचायत कार्यालय रोड़, शहीद जाग्या तिम्या हाईस्कूल, होटल, अस्पताल, तिरोड़ा रोड़ हैं, जिससे इस बस स्टैंड चौराहे पर सुबह और शाम यात्रियों छात्रों और नागरिकों की भीड़ लगी रहती है, वहीं वाहन चालक यहां जगह मिले वाहन कर देते हैं इसके चलते अक्सर दुर्घटनाएं हो रही हैं. पास में ही मराठी स्कूटन शहीद जान्दा निम्या स्कूल जिले का सबसे बढ काठी स्कूल है करोब 1.800 वद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे है, खुलने और छूटने के सत्यविद्यार्थियों को दुर्घटना का डर रहता है. तेज रफ्तार यात्री वाहनों, दोपहिया वाहनों, ट्रकों पर काबू नहीं पाया जा सकता और दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन इस दुर्घटना की सूचना थाने को नहीं दी जाती है.नागरिकों और विद्यार्थियों की यातायात समस्या को ध्यान में रखते हुए तत्काल यातायात पुलिस की व्यवस्था करने की मांग नागरिकों ने पुलिस प्रशासन से की है.

पार्किंग की सुविधा नहीं

इन वाहनों के लिए पार्किंग, यातायात पुलिस आदि की व्यवस्था नहीं की गई है. शहर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एकमात्र राष्टीयकृत बैंक है. बैंक में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है. इस दौरान ग्राहक अपने वाहन सड़क पर पार्क कर रहे हैं. जागरूक नागरिकों का आरोप है कि पुलिस विभाग इस यातायात समस्या के समाधान में पूरी तरह अनदेखी बरत रहा है. अगर इस बस स्टैंड चौक से किसी नेता या मंत्री का काफिला गुजरता है तो यातायात पुलिस तैनात कर दी जाती है. यात्रियों व छात्रों की सुरक्षा की हमेशा अनदेखी की जा रही है. बस स्टैंड चौक पर यातायात पुलिस तैनात करने की मांग नागरिकों ने की है.

छात्रों को लग रही खर्रे की लत

गोंदिया-छात्रों के लिये उनका स्कूली जीवन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. स्कूली जीवन से ही उनका उज्वल भविष्य निर्माण होता है. इस पड़ाव में छात्र शिक्षा समेत खेलकूद में मग्न रहते हैं, किंतु ऐसे में छात्रों को गलत आदत लग रही है. यह दृश्य गड़चिरोली जिले के विभिन्न गांवों में दिखाई दे रहा है. वर्तमान स्थिति में छात्र स्कूल से ज्यादा पानठेलों पर अपना समय बिताते दिखाई दे रहे हैं. ऐसे में अनेक छात्रों को खरें की लत लगने की जानकारी मिली है, जिसके कारण छात्रों के स्वास्थ्य पर विपरीत परिणाम होने की गंभीर संभावना जताई जा रही है. वर्तमान स्थिति में जहां-तहां स्कूली छात्र पानठेलों पर खरी घोटते दिखाई दे रहे हैं. जिससे प्रशासन को इस दिशा में गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता होने की बात कही जा रही है..

नवरात्रि पर्व के दौरान स्वस्थ युवा, महाराष्ट्र की महिमा अभियान 18 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों का स्वास्थ्य जांच

बुलंद गोंदिया। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार जिले में आयुष्मान भव: अभियान चलाया गया. इसे 17 सितंबर से 31 दिसंबर तक लागू किया जा रहा है. स्वस्थ युवा, महाराष्ट्र की जय अभियान के दौरान 18 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए स्वास्थ्य जांच अभियान के साथ-साथ चार महीनों में विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं लागू की जाएंगी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.नितिन वानखेड़े इस अवसर पर ने दी। अतिरिक्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिनेश सुतार ने जानकारी दी है कि स्वस्थ युवा, महाराष्ट्र की जय अभियान के तहत जिले में 18 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों के लिए स्वास्थ्य जांच अभियान चलाया जा रहा है और साप्ताहिक स्वास्थ्य मेलों और विभिन्न गांवों के दौरान- बुद्धिमान जांच शिविर.

नवरात्र पर्व के दौरान स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। जिसमे छोटा गोंदिया , इंगले चौक, सिविल लाइन दुर्गा महोत्सव में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया था. स्क्रीनिंग शिविर के दौरान विभिन्न रोगों जैसे मधुमेह, रक्तचाप, तपेदिक, संक्रामक रोग, सिकल सेल, मानसिक रोग, कुष्ठ रोग, संक्रामक रोगों की जांच की गई और पोषण, टेलीकंसल्टेशन, ई-संजीवनी ओपीडी, टीकाकरण, निक्षयमित्र के बारे में निवारक जागरूकता पैदा की गई। निरीक्षण शिविर के दौरान चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. खुशाल बालपांडे, स्वास्थ्य कार्यकर्ता वर्षा बोरकर और सुलोचना रहांगडाले, स्वास्थ्य कार्यकर्ता आकाश निकुसे, प्रयोगशाला तकनीशियन राहुल दमाहे, परिचारक महेंद्र वेरहड़े ने स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कीं।

बीमार व्यक्तियों का उपचार कर आवश्यकतानुसार जिला स्तर पर रेफर किया जायेगा। इस पहल के तहत जिले के 30 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुषों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच, आवश्यक परीक्षण और उपचार दिया जाएगा। जरूरत के मुताबिक गंभीर रूप से बीमार मरीजों को राज्य सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना से मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त सर्जरी की सुविधा दी जाएगी. डॉ. अमरीश मोहबे ने दी।अठारह वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुषों को निकटतम स्वास्थ्य संस्थान में जाकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी से जांच करानी चाहिए। एक अपील डॉ. नितिन वानखेड़े ने की है. गोंदिया जिले के अंतर्गत सभी स्वास्थ्य संस्थानों में इस स्थान पर व्यापक जांच और उपचार किया जाएगा।

सांसद प्रफुल्ल पटेल के प्रयास हुए सफल

बेमौसम बारिश से हुये नुकसान की राहत राशि मंजूर

306 हेक्टर की फसलों का हुआ था नुकसान

बुलंद गोंदिया। गोंदिया जिले में वर्ष 2023 की ग्रीष्मकालीन फसल के दौरान मार्च -अप्रैल महीने में हुई बेमौसम बारिश के चलते धान की फसल के साथ फल बगीचों को भी भारी नुकसान हुआ था, लेकिन किसानों को यह नुकसान भरपाई नहीं मिली थी जिसके लिए संसद प्रफुल्ल पटेल द्वारा शासन से निरंतर पत्र व्यवहार कर किसानों को नुकसान भरपाई की मांग की जिस पर शासन द्वारा सकारात्मक रूख करते हुए मंगलवार 17 अक्टूबर को नुकसान की आर्थिक सहायता मंजूर की जिससे जिले के किसानों को राहत मिली है। गौरतलब है कि गोंदिया जिले में वर्ष 2023 के ग्रीष्मकालीन फसल मौसम में मार्च- अप्रैल के दौरान जोरदार बारिश होने के परिणाम स्वरूप सैकड़ो हेक्टर में लगाई गई धान की फसल व फल बगीचों को नुकसान हुआ था। यह नुकसान का पंचनामा कर इसका अहवाल कृषि विभाग द्वारा शासन को भेजा गया लेकिन नुकसान ग्रस्त किसानों को नुकसान भरपाई नहीं मिल पाई थी। विशेष उल्लेखनीय है कि अतिवृष्टि के दौरान हुए नुकसान के क्षेत्र को छोड़कर आधारभूत केदो पर धान खरीदी की गई थी तथा अनेक महीने बीत जाने के बावजूद किसानों का इस संदर्भ में पोर्टल पर अपडेट भी नहीं किया गया था जिससे किसान नुकसान भरपाई से वंचित थे। अर्जुनी मोरगांव तहसील के किसानों द्वारा यह जानकारी पूर्व विधायक राजेंद्र जैन के समक्ष रखी गई इसके पश्चात जैन द्वारा सांसद प्रफुल्ल पटेल के माध्यम से शासन से पत्र व्यवहार कर भी किया गया था तथा 8 सितंबर को सांसद प्रफुल्ल पटेल राज्य के मदद और पुनर्वासन मंत्री अनिल पाटिल को पत्र देकर नुकसान ग्रस्त किसानों को तत्काल मदद देने की मांग की थी। सांसद पटेल की इस मांग को प्राथमिकता देते हुए मंत्री द्वारा मंगलवार को इस संदर्भ में शासन आदेश निकालकर बेमौसम बारिश के नुकसान ग्रस्त किसानों के लिए सहायता राशि मंजूर की। जिस पर जिले के किसानों द्वारा संसद प्रफुल्ल पटेल वह पूर्व विधायक राजेंद्र जैन का आभार व्यक्त किया।

786 किसानों को 51लाख 93हजार की सहायता राशि जिले में वर्ष 2023 में ग्रीष्मकालीन फसल मौसम मार्च अप्रैल के महीने में हुई बेमौसम बारिश से भारी नुकसान हुआ था। कृषि व राजस्व विभाग द्वारा पेश किए गए अहवाल के अनुसार 306 हेक्टर भूमि की फसल पर नुकसान हुआ जिसमें जिले के 786 किसने का समावेश है। इन नुकसान ग्रस्त किसने की भरपाई के लिए राज्य सरकार द्वारा 51 लाख 93 हजार रुपए की निधि मंजूर की है।

आपदा प्रबंधन दिवस मनाया

प्रदर्शन व प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन

गोंदिया-विश्व आपदा प्रबंधन निवारण दिवस पर जिलाधीश कार्यालय में आपदा प्रबंधन निवारण के संबंध में शपथ ली गई. इस अवसर पर अपर जिलाधीश प्रकाश पाटिल, निवासी उप जिलाधीश स्मिता बेलपत्रे, अधीक्षक उद्धव नाइक, नायब तहसीलदार संजय धार्मिक, पोरचेट्टीवार, बिटले व उपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से प्रतिज्ञा पढ़ी. आपदा प्रबंधन को कम करने नागरिकों के बीच जन जागरूकता पैदा करने संयुक्त राष्ट्र संघ ने आपदा प्रबंधन निवारण दिवस के रूप में घोषित किया है. राज्य में आपदा प्रबंधन निवारण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है. आपदा संभावित क्षेत्रों में जीवन, वित्त और पर्यावरण के नुकसान से बचने के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपनी, अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की विभिन्न आपदा शमन गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लूंगा. में आपदा प्रबंधन को कम करने के लिए समुदाय आधारित गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लूंगा.मैं हमेशा अपने परिवार और समुदाय में आपदा के बारे में जागरूकता पैदा करने और इसके लिए तैयारी करने का प्रयास करूंगा. मैं राज्य के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जन, वित्त और पर्यावरण की हानि से बचने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहूंगा, यह शपथ जिलाधीश कार्यालय के सभागृह में ली गई. आपदा निवारण दिवस के अवसर पर अग्निशमन विभाग गोंदिया की ओर से सहायक अग्निशमन अधिकारी ने आदर्श कॉन्वेंट के विद्यार्थियों को सुरक्षा व बचाव पर प्रात्याक्षिक करके दिखाया. इस अवसर पर अग्निशमन अधिकारी नीरज काले, आदर्श कॉन्वेंट की शिक्षिका रंगारी रोडे, लांजेवार, भावे, आंबेडारे, अग्निशमन विभाग के कर्मचारी व विद्यार्थी उपस्थित थे.

साइबर धोखाधड़ी ठगों ने उड़ा लिए दो बैंक खातों से 8 लाख 43 हजार रुपये

बुलंद गोंदिया। साइबर ठगी के मामले अब दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे है। केसलेस ऑनलाइन पैमेंट युग की क्रांति होने के साथ साथ साइबर क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। भोले-भाले लोगो को अलग अलग तरीके से टार्गेट कर चुना लगाया जा रहा है। कोई बिजली कंपनी का अधिकारी बनकर चुना लगा रहा है तो कोई कंपनी का एजेंट बनकर चुना लगा रहा है। अभी का ताजा मामला तो हैरतअंगेज है। यहां शिकायतकर्ता के दो बैंक खातों से साइबर ठग ने इंटरनेट के माध्यम से जानकारी जुटाकर फर्जी तरीके से दो दिन में तीन चार बार पैमेंट निकालकर पौने 9 लाख की धोखाधड़ी की है। गोंदिया शहर थाने में दर्ज फिर्यादि पवन दिलीप फुंडे उम्र 30 वर्ष की शिकायत अनुसार 1 व 2 अक्टूबर के दरम्यान साइबर ठगों ने इंटरनेट के माध्यम से फर्जी तरीके से जानकारी जुटाकर आइसीआईसीआय बैंक खाते से तीन बार 45 हजार, 98 हजार तथा 4 लाख निकाले वही एसबीआई बैंक खाते से 3 लाख। ऐसा कुल 8 लाख 43 हजार की साइबर ठगी की।गोंदिया शहर पुलिस ने इस साइबर अपराध को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात ठगों के खिलाफ भादवि की धारा 420, सह कलम 66 डी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत मामला दर्ज कर इसकी जांच थाना निरीक्षक चंद्रकांत सूर्यवंशी कर रहे है।

तलवारबाजी में चमके खिलाड़ी

गोंदिया-जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय जिला क्रीड़ा परिषद गोंदिया व फेंसिंग गोंदिया एसोसिएशन द्वारा विभागीय शालेय तलवारबाजी क्रीड़ा स्पर्धा का आयोजन जिला क्रीड़ा संकुल में हुआ. स्पर्धा में नागपुर विभाग के 430 खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपना हुनर दिखाया. इस अवसर पर पुष्करू सावंत, शैलेंद्र फुंडे, क्रीड़ा अधिकारी ए.बी. मरस्कोल्हे, अर्चना नंदघढे, मोहम्मद शेख, डा. राकेश तिवारी, अंकुश गजभिए, विकास कापसे, क्रीड़ा शिक्षक आशीष चव्हाण, विशाल ठाकुर. फलिंद्र मंडे, सगना चव्हाण, अक्षर बनकर, प्रतोक लाडेकर, उज्वल वानासुर, शुभम पिसोडे, राज नेवार, उज्वल हमें, इरफान कुरैशी आदि उपस्थित थे. पंच के रूप में अतुल बिसेन, नंदकुन्नल धनविजय, सौरभ तोमर राहुल मंडावकर, सागर भगत, अंकित गजभिये, निखिल कोहठ, यश सोनटक्के ने काम संभाला.

मारवाड़ी युवक मंडल के गरबा आयोजन की तैयारियां बेमिसाल : जैन

गोंदिया-शहर में मारवाड़ी समाज के सात समाजों के संयुक्त संगठन मारवाड़ी युवक मंडल द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नवरात्रि पर्व पर समारोहपूर्वक धूमधाम से राजस्थानी महिला मंडल के नेतृत्व में भव्य रास गरबा 2023 का आयोजन किया जा रहा है. जिसका शुभारंभ पूर्व विधायक राजेंद्र जैन के हस्ते सर्कस मैदान में समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में किया गया. इस अवसर पर मारवाड़ी युवक मंडल ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष वेदप्रकाश गोयल, मारवाड़ी युवक मंडल के अध्यक्ष महेश थानुराम गोयल, ट्रस्ट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हुकुमचंद अग्रवाल, जिला व्यापारी फेडरेशन के अध्यक्ष किरणकुमार मुंदड़ा, महावीर मारवाड़ी स्कूल सोसाइटी के अध्यक्ष सीताराम अग्रवाल, जनता सहकारी बैंक के अध्यक्ष सीए दिनेश अग्रसेन स्मारक समिति के अध्यक्ष हेमेंद्र पोद्दार, मेढ़ क्षत्रिय स्वर्णकारसमाज के अध्यक्ष महेश रामनिवास जालु, राजस्थानी सेन समाज के अध्यक्ष गोविंद सुलोदिया, सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश जयपुरिया, राजस्थान महिला मंडल की अध्यक्ष रश्मि के. खंडेलवाल, सचिव भावना के. खंडेलवाल, कोषाध्यक्ष कल्पना आर. भालोटिया आदि उपस्थित थे. शुभारंभ मां दुर्गा के तैलचित्र पर माल्यार्पण व अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया. संचालन अपूर्व अग्रवालने किया व आभार भावना खंडेलवाल ने माना. प्रस्तावना में राजस्थानी महिला मंडल की अध्यक्ष रश्मि खंडेलवाल ने कहा कि मारवाड़ी युवक मंडल के अध्यक्ष महेश गोयल की अध्यक्षता में प्रतिवर्ष रास गरबा डांडिया नाइट के कार्यक्रम में भरपूर योगदान मिल रहा है. वहीं प्रति वर्ष नवरात्रि उत्सव पर मारवाड़ी समाज के सभी परिवारों को संयुक्त रुप से एकजुट होने का अवसर हम सभी महिलाओं कोघर के काम काज से निवृत्त होकर जो यह अवसर प्राप्त होता है. पूर्व विधायक जैन ने कहा कि दुर्गोत्सव पर मारवाड़ी युवक मंडल के गरबा आयोजन की तैयारियां हर साल बेमिसाल होती है. साज सज्जा, लाइटिंग, डेकोरेशन, साउंड सिस्टम के साथ ही महिलाओं को सुरक्षित और सभ्य माहौल प्रदान किया जा रहा है, जिससे कि रास गरबा में महिला का उत्साह देखने लायक है.

गोंदिया शहर में विराजीत माता राणी के दर्शन

मां जगदंबा धाम नगर दुर्गा उत्सव समिति गोंदिया

मां काली माता मंदिर रामनगर गोंदिया

युवा दुर्गा उत्सव समिति वाजपेई चौक गोंदिया

श्री नवयुवक सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति सुदर्शन नगर सावराटोली सुभाष वार्ड गोंदिया

श्री युवा मानव सेवा दल दुर्गा उत्सव समिति मालवीय स्कूल के पास श्रीनगर गोंदिया

सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति गांधी प्रतिमा गोंदिया

अंबाजी धाम ब्रम्हाबाड़ी गोयल चौक गोंदिया

श्री एकता दुर्गा उत्सव समिति होटल कस्तूर के सामने रेलटोली गोंदिया

माताटोली दुर्गा उत्सव समिति मडी चौक गोंदिया

मां संतोषी दुर्गा उत्सव मंडल लाला चौक गंज वार्ड गोंदिया

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान
सप्तपदी स्वच्छतेची

आज़ादी का अमृत महोत्सव

स्वच्छ सर्वेक्षण २०२३

सर्व साधारण माहिती करिता जाहीर सुचना प्रसिध्द करण्यात येते की स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे, लघवी करणे, शौच करणे वर दंडात्मक कार्यवाही नगर परिषद प्रशासन करू शकते. तरी आपले परिसर, सार्वजनिक ठिकाण स्वच्छ ठेवावे अन्यथा खालील प्रमाणे दंड आकारण्यात येईल.

क्र.	विवरण	दंड
१.	रस्ते/मार्गावर घाण करणे	१८०/-
२.	सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे	१५०/-
३.	उघड्यावर लघवी/लघुशंका करणे	२००/-
४.	उघड्यावर शौच करणे	५००/-

श्री. करणकुमार चव्हाण
मुख्याधिकारी तथा प्रशासक
नगर परिषद, गोंदिया

स्वामित्व, मुद्रक, प्रकाशक व संपादक नवीन माणिकचंद अग्रवाल द्वारा बुलंद गोंदिया साप्ताहिक समाचार पत्र भवानी प्रिंटींग प्रेस, गुरुनानक वार्ड, गोंदिया ता.जि.गोंदिया से मुद्रित व बुलंद गोंदिया भवन, जगन्नाथ मंदिर के पास गौशाला वार्ड, गोंदिया-४४१६०१, ता.जि.गोंदिया से प्रकाशित । संपादक नवीन माणिकचंद अग्रवाल, मो.क्र.९४०५२४४६६८। (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिये जिम्मेदार) प्रकाशित किये गये समाचार व लेख से संपादक सहमत है। न्यायालय क्षेत्र गोंदिया ।